पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/3579 दिनांक 13.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्रा0 डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 ने इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा गूंगा पटवार क्षेत्र गूगा तह0 शिव जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 582 रकबा 51 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :-

| क्र.स. | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धनराज वल्द सुरताराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार | 582 | 1.01 | बा.दो. | 0.09 | पहाडी |
| 2. | नेमीचंद, घनश्याम, गणपतलाल पि0 मांगीलाल, शांतीदेवी पत्नी मांगीलाल मगाराम वल्द जेताराम, रता वल्द विरधा, बाबू, किसना, काना, फरसाराम पि0 सगता, बालूी बेवा सगता कौम सुथार सा. देह खातेदार | 582 | 49.19 | बा.दो. | 4.50 | हरा |

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

डिकी पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी षिव**

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 101/2019

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. धनराज पुत्र सुरताराम, जाति–कुमावत, नि0 गूंगा तह0 शिव। | | 1. मगाराम पुत्र जेताराम<br>2. बाबूराम पुत्र सगताराम<br>3. किसनाराम पुत्र सगताराम<br>4. कानाराम पुत्र सगताराम<br>5. फरसराम पुत्र सगताराम<br>6. बाली पत्नि सगताराम<br>7. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल<br>8. घनश्याम पुत्र मांगीलाल<br>9. गणपतलाल पुत्र मांगीलाल<br>10. शांतिदेवी पत्नी मांगीलाल जातियान– सुथार, नि0 गूंगा तह0 शिव<br>11. तहसीलदार, शिव जिला बाडमेर। |

निर्णय

वादी की ओर से श्री जेठाराम कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे आई गई तथा आज तारीख 23.12.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि :–

माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा गूंगा पटवार क्षैत्र गूगा तह0 शिव जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 582 रकबा 51 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :–

| क्र. स. | खातेदार का नाम | ख.न. | रकबा | किस्म | लगान | रंग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | धनराज वल्द सुरताराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार | 582 | 1.01 | बा.दो. | 0.09 | पहाडी |
| 2. | नेमीचंद, घनश्याम, गणपतलाल पि0 मांगीलाल, शांतीदेवी पत्नी मांगीलाल मगाराम वल्द जेताराम, रता वल्द विरधा, बाबू, किसना, काना, फरसाराम पि0 बगता, बाली बेवा सगता कौम सुथार सा. देह खातेदार | 582 | 49.19 | बा.दो. | 4.50 | हरा |

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: